<u>न्यायालय – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.</u> <u>(आप.प्रक.क. :- 719 / 2015)</u>

(संस्थित दिनांक :- 24/09/15)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ। जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र लच्छीराम यादव, उम्र 38 वर्ष। 01. निवासी: – कम्पू, हाल: – गणेश कॉलौनी डबरा, जिला–ग्वालियर, (म.प्र.)। अभियुक्त।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :- 07/04/2018 को घोषित)

आरोपी राजेन्द्र सिंह पर धारा 279, 337 "04 काउण्ट" एवं 304 ए भा.द. सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 21/03/2015 की सुबह लगभग 08:00 बजे बारह बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 1720 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहतगण रामसेवक, रामकुमार, रामबेटी एवं राजकुमारी को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं मृतक पन्नालाल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है। 02.

अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 21/03/2015 की सुबह लगभग 08:00 बजे बारह बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड लोकमार्ग पर, वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 1720 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर ईको वाहन क्रमांक एम.पी.07 / सी.डी. / 4828 में टक्कर मारकर उसमें सवार आहतगण रामसेवक, रामकुमार, रामबेटी एवं राजकुमारी एवं एक अन्य राहगीर पन्नालाल को टक्कर मारकर उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी केवल सिंह द्वारा थाना मौ पर उसी दिनांक को की जाने पर, थाना मौ में वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 1720 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 64 / 2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। ईलाज के दौरान आहत पन्नालाल की मृत्यु हो जाने के आरोपी के विरूद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 1720 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फिरयादी केवल, आहतगण रामसेवक, रामकुमार, रामबेटी, राजकुमारी एवं साक्षी राकेश के कथन लेखबद्ध किए गये। जब्तशुदा वाहन के स्वामी / आरोपी राजेन्द्र सिंह का जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 279, 337 ''04 काउण्ट'' एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी राजेन्द्र सिंह ने दिनांक :— 21/03/2015 की सुबह लगभग 08:00 बजे बारह बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन डम्फर कमांक एम.पी.07/जी.ए./1720 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहतगण रामसेवक, रामकुमार, रामबेटी एवं राजकुमारी को टक्कर मारकर उपहति कारित की?
- 03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक पन्नालाल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?
 - 04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु कमांक :- 01 लगायत 03

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। 07. फरियादी केवल अ.सा.01, आहत रामसेवक अ.सा.02, आहत राजकुमारी अ.सा.03, आहत रामबेटी अ.सा.04, आहत रामकुमार अ.सा.09 एवं साक्षी राकेश कुमार अ.सा.08 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी राजेन्द्र कुमार द्वारा डम्फर कमांक एम.पी.07/जी.ए./1720 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर उक्त आहतगण को उपहित कारित करने या मृतक पन्नालाल की मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। फरियादी केवल अ.सा.01, आहत रामसेवक अ.सा.02, आहत राजकुमारी अ.सा.03, आहत रामबेटी अ.सा.04 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो जाने का तथ्य भी दर्शित किया है। इस प्रकार उक्त फरियादी, आहतगण एवं साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में डम्फर कमांक एम.पी.07/जी.ए./1720 या आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राजेन्द्र की पहचान के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

08. डॉ.राहुल भदौरिया अ.सा.05 एवं डॉ.बी.एस.तोमर अ.सा.07 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहतगण रामसेवक, रामकुमार, रामबेटी, राजकुमारी मेडीकल परीक्षण एवं मृतक पन्नालाल के शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.11 एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 12 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

09. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राजेन्द्र सिंह ने दिनांक :— 21/03/2015 की सुबह लगभग 08:00 बजे बारह बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1720 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहतगण रामसेवक, रामकुमार, रामबेटी एवं राजकुमारी को टक्कर मारकर उपहित कारित की एवं मृतक पन्नालाल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 279, 337 "04 काउण्ट" एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राजेन्द्र सिंह को धारा 279, 337 "04 काउण्ट" एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्फर कमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 1720 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी राजेन्द्र सिंह यादव के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद